ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL**04292**
RNI REG. NO. UPBIL/**2014/66218** **PP. No.- 101-103**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- II, Issues-40, YEAR- April-June 2026

महिलाएँ एवं कानून

डॉ0 कविता कुमारी

एम0ए0, पी–एच0डी0– समाजशास्त्र, मोहल्ला–गौरक्षणी, थाना+पोस्ट+जिला–जहानाबाद (बिहार) भारत

Received-20.04.2026, Revised-28.04.2026, Accepted-05.05.2026, **E-mail:premkumarssc86@gmail.com**

सारांशः ***गाँधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम का उद्देश्य मात्र जन–सामान्य को राष्ट्रीय आन्दोलन से जोड़ना ही नहीं था बल्कि उनके अन्दर एक नवीन जागृति पैदा करना था, जिससे कि अंग्रेजों का भय देशवासियों के ह्रदय से सदा के लिये खत्म हो जाए। उनका अंतिम लक्ष्य था, मानव जाति का नैतिक, चारित्रिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलकर सत्याग्रही होना जिसे अपने जीवन में स्वीकार करने से ही सम्भव होगा। वस्तुतः गाँधीजी के क्रियाकलाप को समझने के लिए ह्रदयगम कर लेना चाहिए कि उनका सिद्धांत एक वृहत भवन के सदृश है जिसमें दो भिन्न–भिन्न मंजिलें हैं। नीचे ठोस आधार है धर्म की मूल भित्ति का। इस विशाल एवं अडिग भित्ति पर आधारित है राजनीतिक एवं सामाजिक आन्दोलन।***[1]

कुंजीभूत शब्द– महिलाएँ, कानून, जन–सामान्य, राष्ट्रीय आन्दोलन, नवीन जागृति, मानव जाति, नैतिक, चारित्रिक एवं आर्थिक उत्थान।

भारतीय संविधान तथा विभिन्न दण्ड संहिताओं में भी कई ऐसे नियम, विनियम, अधिनियम अदि बनाए गए हैं जिनकी सहायता से महिलाओं के हितों की रक्षा की जा सकती है। महिलाओं से संबंधित कुछ प्रमुख अधिनियम निम्नलिखित हैंः

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955– यह अधिनियम 18 मई, 1955 से लागू है। इस अधिनियम में कुल 30 धाराएँ हैं, जिनमें से कुछ धाराएँ महिला अधिकारों की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है[1] :

अधिनियम की धारा 13 विवाह–विच्छेद से सम्बन्धित है, इसकी उपधारा (1) के अनुसार उसके स्वयं के अलावा अन्य स्त्री के साथ सहवास करने पर, पति द्वारा निर्दयतापूर्वक व्यवहार किये जाने पर, पति द्वारा पत्नी को छोड़ दिये जाने पर, पति द्वारा धर्म परिवर्तन करने पर, पति के पागलपन, उसके कोढ़ी होने अथवा रतिजन्य रोग से पीड़ित होने अथवा सात के पहले अधिक समय तक लापता रहने के आधार पर न्यायालय से विवाह–विच्छेद की याचिका दायर कर डिक्री प्राप्त कर सकती है। 13 (1–क) के अनुसार न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के कारण के पश्चात् एक वर्ष या उससे ऊपर की कालावधि भर उन पक्षकार के बीच सहवास का कोई पुनरारम्भ नहीं हुआ है। धारा (2) के तहत एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी कर लेने पर अथवा पति के बलात्कार, गुदा–मैथुन अथवा पशु–मैथुन का दोषी पाए जाने पर अथवा भरण–पोषण की डिक्री पारित होने के एक साल के बाद पति–पत्नी के बीच लैंगिक संबंधों की स्थापना नहीं हो पाने अथवा पत्नी की शादी 15 वर्ष की उम्र प्राप्त करने से पहले होने पर एवं 18 वर्ष की उम्र प्राप्त करने से पहले विवाह को असवीकृत कर दिये जाने की स्थिति में भी पत्नी पति से तलाक कर सकेगी। धारा 13 (ब) के तहत अब पति एवं पत्नी पारस्परिक सहमति से भी सामूहिक रूप से चाचिका दायर कर एक–दूसरे से तलाक ले सकते हैं। धारा 13 (क) के तहत अगर न्यायालय को एक प्रतिशत भी ऐसी गुंजाइश लगती है कि पति–पत्नी के बीच सम्बन्ध पुर्नस्थापित हो सकते हैं तो विवाह–विच्छेद की डिक्री पारित करने की प्रार्थना होने पर भी न्यायालय चाहे तो न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित कर सकता है जिसका लाभ यह होता है कि दोनों पक्षकारों को एक वर्ष का समय मिल जाता है, जिसमें वे यह निर्णय ले सके कि उन्हें वैवाहिक सम्बन्धों की पुर्नस्थापना करनी है अथवा तलाक ही लेना है। इस अधिनियम की सबसे रोचक धारा 15 है, जिसमें तलाक होने के बाद भी तत्काल पति–पत्नी एक दूसरे से पुनर्विवाह कर सकते हैं।[2]

दहेज निरोधक अधिनियम, 1961– सन् 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दहेज को एक सामाजिक समस्या तथा मानव मात्र पर कलंक एवं कुप्रथा मानते हुए एक कानून पारित किया जिसे ''दहेज निरोधक अधिनियम 1961'' नाम दिया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं[3] : धारा 3 के अन्तर्गत दहेज लेने एवं देने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के बाद कोई दहेज लेता है या देता है तो उसे 5 वर्ष के कारावास तथा 15 हजार रूपये अथवा ऐसे दहेज के मूल्य की रकम के, जो भी अधिक हो, हो सकने वाले जुर्माने से दण्डित किया जाएगा। किन्तु वर–वधु को दी जाने वाली भेंटे यदि बिना माँगे दी जाती है तो वे इस श्रेणी में नहीं आयेंगी। धारा 4 के अनुसार यदि व्यक्ति प्रत्यक्षतः या परोक्षतः वर या वधु के माता–पिता या अन्य रिश्तेदारों से दहेज माँगता है तो वह 6 माह से लेकर अधिकतम 2 वर्ष के कारावास एवं 10 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा। अधिनियम में पत्नी को दहेज पर पूर्ण अधिकार सौंपा गया है। धारा 6 में प्रावधान किया गया है कि दहेज विवाहित महिला के अतिरिक्त किसी औरत के द्वारा प्राप्त किया गया है तो यह विवाह से पूर्व प्राप्त किया गया है तो ववाह के तीन माह के भीतर, यदि दहेज विवाह के समय या पश्चात् प्राप्त हुआ है तो ऐसी प्राप्ति की दिनांक से तीन माह के भीतर या यदि आवश्यक हो तो स्त्री के 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के तीन माह के भीतर उस स्त्री को हस्तांतरित कर देगा। ऐसा नहीं करने पर वह व्यक्ति 6 माह से 2 वर्ष के कारावास या पाँच हजार रूपये के जुर्माने अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

अनैतिक व्यापार अधिनियम, 1956– इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है : धारा 3 के अन्तर्गत वेश्यावृत्ति बनाये रखने अथवा परिसर को वेश्यागृह के रूप में प्रयोग करने पर दण्ड का प्रावधान है, जिसके तहत प्रथम दोषसिद्धी पर एक से तीन वर्ष का कारावास तथा 2000 रूपये जुर्माना, द्वितीय एवं पश्चातवर्ती दोषसिद्धी पर दो से पाँच वर्ष का कारावास एवं 2000 रूपये दण्ड का उपबन्ध किया गया है। इसी तरह धारा 4 के तहत वेश्यावृत्ति के उपार्जन पर जीविका निर्वाह करने के लिए, धारा 5 के तहत वेश्यावृत्ति कराने के लिए व्यक्ति को लेने या प्राप्त करने के लिए, धारा 6 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति का ऐसे परिसर में निरोध जहाँ वेश्यावृत्ति हो रही हो के लिए, धारा 7 के अन्तर्गत लोक स्थान या उसके आस–पास वेश्यावृत्ति तथा धारा 8 के तहत वेश्यावृत्ति के प्रयोजन से याचना करने के लिए विभिन्न दण्डों के प्रावधान किये गये हैं। बच्चे या अवयस्क की सूरत में इन दण्डों का निर्धारण आजीवन कारावास तक किया गया है। सामान्यतया 7 से 14 वर्ष के कारावास एवं जुर्माने के दण्ड से दण्ड के प्रावधान किये गये हैं। साथ ही अधिनियम में सुधार संस्थाओं एवं संरक्षण गृहों के निर्माण के उपबन्ध भी है।[4]

चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम, 1971– इस अधिनियम की प्रमुख धाराएं निम्न हैं[5] :

1. यदि गर्भ को बनाए रखना स्त्री के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो तो गर्भपात किया जा सकता है।

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- II, Issues-40, YEAR- April-June 2026

2. यदि होने वाले बच्चे के शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग पैदा होने की आशंका हो तो गर्भपात किया जा सकता है, लेकिन यह कर्म गर्भ के 20 सप्ताह तक ही हो सकता है।
3. गर्भपात के पूर्व स्त्री तथा उसके संरक्षकों की सहमति आवश्यक है।
4. गर्भपात से संबंधित सभी कागजात संबंधित चिकित्सक को गुप्त रखने होंगे ।

चूंकि गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग का पता लगाकर कन्या–भ्रूण के गर्भपात के मामले में तेजी से वृद्धि हो रही थी जिस कारण हमारे देश में स्त्री–पुयष अनुपात गड़बड़ा गया था इसलिए अब भ्रूण के लिंग का पता लगाने वाले परीक्षण पर कानूनन रोक लगा दी गयी है और इसके आधार पर कन्य–भ्रूण के गर्भपात को अवैध घोषित किया गया है।

स्त्री का अशिष्ट रूपण अधिनियम, 1986– विज्ञापनों के माध्यम से या किसी अन्य रीति से स्त्रियों के अशिष्ट रूपण को जिससे की स्त्री की मानवीय गरिमा का हनन हो, इस अधिनियम द्वारा प्रतिबन्धित किया गया है। इसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं[6]: धारा 3 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति ऐसा विज्ञापन, जो किसी भी रूप में स्त्रियों को अशिष्ट रूप में प्रदर्शित करता है उसपर प्रतिबन्ध लगायाा गया है। धारा 4 के तहत कोई भी व्यक्ति पुस्तक, पत्रिका, पत्र, स्लाइड, फिल्म, लेखन, रेखाचित्र, फोटोग्राफ जिसमें स्त्रियों का किसी भी रूप में प्रस्तुतीकरण अंतर्विष्ट हो, प्रस्तुत नहीं करेगा और न ही विक्रय, वितरित, प्रसारित करेगा। धारा 6 धारा 3 एवं 4 के उल्लंघन हेतु दण्ड निश्चित किया गया है।

बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 2006–इस अधिनियम में बाल विवाह को रोकने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं[7]: हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 5 (3) के तहत विवाह होने के लिए लड़के की उम्र 21 वर्ष एवं लड़की की उम्र 18 वर्ष निश्चित की गई है। धारा 3 के तहत अगर कोई 18 वर्ष का लड़का जिसने की 21 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है अगर किसी 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की से अथवा अन्य से विवाह करता है तो उसे 15 दिन तक की सजा दी जा सकेगी। धारा 4 के तहत अगर कोई 21 वर्ष का लड़का 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की से शादी करता है तो उसे तीन माह की सजा एवं जुर्माना दोनों हो सकता है। धारा 5 के तहत अगर कोई व्यक्ति बाल विवाह को सम्पन्न कराता है तो उसे भी तीन माह तक की सजा दी जा सकती है। धारा 6 के तहत अवयस्क के संरक्षक अथवा माता–पिता भी अवयस्क की शादी कराने पर तीन माह तक की सजा के भागी होंगे।

हिन्दू विधवा पुनिर्विवाह अधिनियम, 1856– इस अधिनियम के तहत विधवा पुनर्विवाह कर सकती है, उसका विवाह कानून की दृष्टि से मान्य समझा जाएगा तथा उससे उत्पन्न संतान वैध मानी जाएगी। पूर्व पति की संपत्ति में उसका जो अधिकार हो अथवा कुछ हिस्सा मिला हो उसे पुनर्विवाह के बाद त्यागना पड़ता है तो दिवंगत व्यक्ति (पुरूष) के सम्बन्धी ही बच्चों के संरक्षण बनते हैं।[8]

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956– इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को अपने पिता की सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। अब लड़का एवं लड़की दोनों ही समान रूप से उत्तराधिकार में सम्पत्ति पाने के अधिकारी है।[9] इस प्रकार महिला को चाहे वह पुत्री हो या पत्नी उत्तराधिकार के रूप में समान अधिकार प्राप्त है।[10]

कारखाना अधिनियम, 1948 (संशोधन, 1976)– इस अधिनियम में कहा गया है कि यदि स्त्री किसी कारखाने या उद्योग–धंधे में स्त्रियों की संख्या 30 से अधिक होगी तो प्रबंधन को वहाँ एक शिशु–गृह की व्यवस्था करनी होगी ताकि काम के घन्टों के दौरान महिलाएँ अपने बच्चों को शिशु गृह में छोड़ सके।

घरेलू हिंसा को रोकने से सम्बन्धित कानून, 2005– अधिनियम में घरेलू हिंसा को चार भागों में बाँटा गया है :

1. शारीरिक दुर्व्यवहार में सभी प्रकार की हिंसा सम्मिलित है, जो स्त्री को किसी प्रकार का शारीरिक दर्द अथवा चोट पहूँचाती है।
2. यौन दुर्व्यवहार में किसी भी प्रकार का यौनिक शोषण सम्मिलित है, जो कि स्त्री की गरिमा को नीचे गिराता है।
3. भावनात्मक दुर्व्यवहार के अन्तर्गत महिलाओं को धमकाना, दहेज लाने हेतु बाध्य करना, परिवारजनों एवं परिवार के बाहर के लोगों द्वारा उसे धमकाना, बच्चों को जन्म देने हेतु बाध्य करना, बच्चे की भ्रूण हत्या करना, तलाक की धमकी देना, लड़के को पैदा न करने पर सताना, दुसरे विवाह की धमकी देना, जब चाहे घर से निकाल देना, खान–पान में भेदभव करना, इलाज इत्यादि में भेदभाव करना आदि शामिल है।
4. आर्थिक दुर्व्यवहार में किसी भी प्रकार के वित्तीय संसाधनों से बेदखल करना, जिनपर घरेलू रिश्तों के कारण महिला का अधिकार है अथवा घर खर्च हेतु धन प्रदान न करना, नौकरी में बाधा डालना, नौकरी करने से बधित करना इत्यादि।[11]

इस अधिनियम में घरेलू हिंसा को रोकने के लिए निम्न प्रावधान किये गये हैं :

1. किसी भी प्रकार की धमकी एवं शोषण के खिलाफ घरेलू हिंसा कानून में बचाव का प्रावधान है।
2. इस कानून के तहत महिला अपने साथ हुई मारपीट के लिए मुआवजा या फिर सुरक्षा की माँग कर सकती है या फिर शोषण करने वाले पति को उससे दूर रखने की माँग भी कर सकती है। इसके अलावा उसे पति के वेतन और सम्पत्ति में से हिस्सा भी मिलेगा, साथ ही मेडिकल खर्च भी दिया जाएगा।
3. घरेलू हिंसा में सजा का भी प्रावधान है जिसमें हिंसा करने वाले को एक साल तक की सजा और 20 हजार का हर्जाना भरना पड़ सकता है।
4. यदि कोई महिला घरेलू हिंसा का शिकार होती है तो वह या फिर उसकी तरह से कोई भी रिपोर्ट करा सकती है।
5. यह रिपोर्ट सरकार द्वारा नियुक्त पी०ओ० के पास दर्ज करवाई जा सकती है। पी०ओ० रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है और यह उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह कोर्ट से आर्डर पास करवाकर उसे लागू करवाए ।
6. रिपोर्ट राज्य सरकर की पंजीकृत संस्था में भी दर्ज करवायी जा सकती है जो पीड़ित महिला को कानूनी मदद, मेडिकल केयर, काउन्सिलिंग एवं अन्य जरूरी चीजों की मदद मुहैया करवा सके।
7. पुलिस स्टेशन जाकर आई०पी०सी० की धारा 498 (ए) के तहत भी रिपोर्ट दर्ज करवाई जा सकती है।

कहने को तो संविधान में महिलाओं को पुरूषों के बराबर दर्जा प्राप्त है लेकिन वास्तविकता यह है कि कानून की नजर में महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की है। विवाह, तलाक, काम, संपत्ति में अधिकार, गुजारा भत्ता कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, जहाँ बराबरी के नाम पर महिलाओं के साथ भद्दा मजाक न किया गया हो।

अकेले कानून के बूते महिलाओं की दुनिया को नहीं बदला जा सकता। दहेज और हिंसा से संबंधित कानून कड़े करने के बाद भी इनकी दर में कमी आने के बजाए बढ़ोत्तरी हो रही है, लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि यदि वे कनून न बनते तो दहेज और हिंसा की घटनाओं में और भी बढ़ोत्तरी होती। आर्थिक मामलों में कानून खास तौर पर महिलाओं के हित में सार्थक निभा सकता

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- II, Issues-40, YEAR- April-June 2026

है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिलाओं को वास्तविक बराबरी और सच्ची आजादी तब तक हासिल नहीं हो सकती, जब तक वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो जाती। इसके लिए महिलाओं को कामकाजी होने के साथ–साथ संपत्ति में अधिकार दिया जाना जरूरी है।

कहने को तो हिंदू महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का अधिकार दे दिया गया है, लेकिन इसके पीछे कई किंतु–परंतु लगे हुए हैं। महिलाओं के साथ स्वयं अर्जित संपत्ति और पुश्तैनी संपत्ति में अंतर के आधार पर भेदभाव किया जाता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार लड़कियों को माता–पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति में बराबरी का हिस्सा मिल जाता है। बशर्ते वे एक परिवार की सदस्य हों। लेकिन पुश्तैनी या संयुक्त परिवार की संपत्ति में लड़कियों की कोई हिस्सेदारी नहीं हे। यहाँ गौरतलब है कि तीन पीढ़ियों के पश्चात स्वयं अर्जित सम्पत्ति दादालाई संपत्ति में बदल जाती है।

सरकार द्वारा बनाए गए कानून अधिकांश महिलाओं पर कोई प्रभाव नहीं डालते। भारी–भरकर कानून के होते हुए भी महिलाओं में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। वे सड़क, कार्यालय, होस्टलों, होटलों में तो असुरक्षित है ही, घर पर भी उन्हें पति के गुस्से का शिकार होना पड़ता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्यांक 25).
2. चेतन सिंह मेहता (1996) : ''महिला एवं कानून'', आशीष पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, पृ०–22.
3. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961का अधिनियम संख्या 28).
4. अनैतिक व्यापार अधिनियम, 1956 (अधिनियम 1956 का अधिनियम संख्या 54).
5. चिकित्सकीय गर्भ–समापन अधिनियम 1971 (1971 का अधिनियम संख्या 34).
6. स्त्री का अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम 1986, सन् 1986 का अधिनियम संख्या 60.
7. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, सन् 2007 का अधिनियम संख्या 6.
8. एम०एम० लवानिया (1989) : ''भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र, रिसर्च पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ०–57.
9. चेतन सिंह मेहता (1986) : ''महिला एवं कनून'' आशीष पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, पृ०–27.
10. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, सन् 1956 का अधिनियम संख्या 30.
11. घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005, सन् 2005 का अधिनियम संख्या 43, धारा 3.

*****